राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4840 / 2022

आशा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झुंझुनूं।
4. ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक बुहाना, जिला झुंझुनूं।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.09.2022

आदेश की दिनांक : 09.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री रविन्द्र कुमार, अधिवक्ता

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य

एम. एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर सबसेंटर, बसावता (Bhasawata), ब्लॉक बुहाना, झुंझुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से पी.एच.सी., नवातला (Nawatala), जिला बाड़मेर में 600 कि.मी. दूर कर दिया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.09.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का पति भारतीय नौसेना में बैंगलोर में कार्यरत है। अपीलार्थी के 1 वर्ष का छोटा बच्चा है। अपीलार्थी की सास एक वृद्ध महिला है, जिनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 12.09.2022 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी

को सबसेंटर, बसावता (Bhasawata), ब्लॉक बुहाना, जिला झुंझुनूं में ही कार्यरत रखे जाने एवं नियमित वेतन भुगतान के आदेश फरमाया जावे।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 1 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावें।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम. एस. काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य